आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपीलवाद सं0–317/2019

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
1	2	3
02.03.2023	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO.–987/2022 में दिनांक–02.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, बर्खास्त जनसेवक, पंचायत–वरवा परसौनी, प्रखंड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा यह अपील दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– ***"In view of the limited grievance, since the appeal is yet to be considered by the appellate authority and there is no objection by the State Counsel in disposal of the writ petition for passing final orders on the appeal, writ petition is disposed of with direction to the newly added respondent no. 5 to consider and dispose of the appeal, if still pending by a reasoned and speaking order, in accordance with law, within eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order"*** जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, बर्खास्त जनसेवक, पंचायत–वरवा परसौनी, प्रखंड–फेनहारा पर लगाये गये आरोप में लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–	

WEB COPY NOT OFFICIAL

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जनसेवक, पंचायत–वरवा परसौनी, प्रखंड–फेनहारा को निगरानी धावा दल द्वारा परिवादी श्री श्याम किशोर सिंह से 50,000=00 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया। जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा के पत्रांक 612 दिनांक 26.09.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को दी गई। श्री यादव के न्यायिक हिरासत में रहने के कारण जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 751 दिनांक 08.10.2013 द्वारा दिनांक 25.09.2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया और प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया। दिनांक 23.05.2014 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात् श्री यादव द्वारा दिनांक 27.05.2014 को प्रखंड कार्यालय, फेनहारा में योगदान दिया गया। श्री यादव का योगदान स्वीकृत करते हुए दिनांक 27.05.2014 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1)(ग) के आलोक में श्री यादव को दिनांक 08.07.2014 के प्रभाव से पुनः निलंबित करते हुए मुख्यालय घोड़ासहन प्रखंड निर्धारित किया गया। साथ ही प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप लगाये गये :–

1. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सरकारी सेवक के कर्तव्य के विरूद्व आचरण करते हुए श्री श्याम किशोर सिंह, ग्राम–गयबंधी, पो0–इब्राहीमपुर परसौनी, थाना–फेनहारा से उनकी भाभी श्रीमती सुचिता कुमारी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इजोरबारा में कार्यरत है के मासिक वेतन भुगतान हेतु 1,50,000=00 रूपये की नाजायज राशि की माँग की गयी एवं दिनांक–25.09.2013 को फेनहारा प्रखंड कार्यालय से 50,000=00 रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा रंगेहाथ पकड़े गयें।

2. श्री यादव द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं मनमानी किया गया है, जो सरकारी सेवक के आचरण यथा परिभाषित सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 की कंडिका–03 (1) के विरूद्व है।

आरोपी कर्मी के विरूद्व लगाये गये सभी आरोपो को संचालन पदाधिकारी द्वारा सत्य पाया गया। उक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

WEB COPY NOT OFFICIAL

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा (संशोधित–2007) के नियम 14 (XI) में निहित प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक–1483 दिनांक–29.11.2019 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, निलंबित जनसेवक, पंचायत–वरवा परसौनी, प्रखंड–फेनहारा को बर्खास्त कर दिया गया।

श्री यादव, बर्खास्त जनसेवक द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के बर्खास्तगी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) अपीलकर्ता के विरूद्ध 50,000 रूपये घूस लेने के आरोप में दर्ज निगरानी थाना वाद सं0–62/2013 के आधार पर प्रपत्र 'क' का गठन किया गया है। प्रपत्र 'क' दोषपूर्ण है, क्योंकि यह न जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है और न ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (3) एवं आरोप पत्र गठन नियमावली, 2011 के नियम 4(2) के अनुरूप है। क्योंकि आरोप के संबंध में साक्ष्य की सूची एवं गवाहों की सूची नही दी गयी है।

(ii) वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की प्रारंभिक जाँच नहीं की गयी। आरक्षी अधीक्षक, निगरानी थाना के कांड सं0–62/2013 के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने से पहले अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गयी, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

(iii) जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 486 दिनांक 20.06.2013 द्वारा अपीलकर्ता का स्थानांतरण मोतिहारी प्रखंड में हो गया। अपीलकर्ता द्वारा मोतिहारी प्रखंड में दिनांक 02.07.2013 को योगदान दिया गया। पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक 1523 दिनांक 02.07.2013 के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा प्रभार देने हेतु फेनहारा प्रखंड में दिनांक 03.07.2013 को योगदान दिया गया।

(iv) अपीलकर्ता दिनांक 23.09.2013 को आकस्मिक अवकाश पर था। निगरानी कॉस्टेबल द्वारा 23.09.2013 को सत्यापन किया गया। परंतु केस के जाँच अधिकारी द्वारा मनगढ़ंत एवं गलत तरीके से दिनांक 24.09.2013 को 07:00 बजे पूर्वाहन अंकित किया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(v) किसी स्वतंत्र गवाह का बयान नहीं लिया गया। स्वतंत्र गवाह सं0–01 आलोक कुमार सिंह, सूचिता कुमारी का भाई है और स्वतंत्र गवाह सं0–02 कन्हैया कुमार, रम्भा कुमारी, शिक्षक का पुत्र है जिसका वेतन मुखिया और अपीलकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजे पत्र के कारण बंद है।

(vi) निगरानी थाना कांड सं0 62/2013 गलत एवं मनगढ़ंत है। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.09.2013 को प्रभार दे दिया गया था, तो इसमें घूस मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता है, अपीलकर्ता द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 30.06.2013 को ही Cashbook बंद कर दिया गया था।

(vii) घूस लेने व मांगने का कोई साक्ष्य संचालन प्रतिवेदन में नहीं है। जिस एफ0आई0आर0 के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, वह अभी विशेष निगरानी न्यायालय में लंबित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले की जाँच सही तरीके से किये बिना प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जनसेवक को 50000/– रूपये घूस लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह एक प्रकार का गंभीर अपराध है। जिला पदाधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश उचित एवं सही है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री श्याम किशोर सिंह, ग्राम–गयबंधी, पो0–इब्राहिमपुर परसौनी, प्रखंड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण द्वारा दिनांक–23.09.2013 को पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को शिकायत आवेदन दिया गया कि उनके भाभो श्रीमती सुचिता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इजोरवारा के बकाये के भुगतान हेतु श्री सुरेन्द प्रसाद यादव, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज वारा परसौनी द्वारा 1,50,000/– रूपये की मांग की गयी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जनसेवक–सह–प्रभारी प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, फेनहारा को दिनांक 25.09.2013 को निगरानी धावा दल द्वारा 50000/– रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। श्री यादव उक्त अवधि में प्रभार देने हेतु फेनहारा प्रखंड में प्रतिनियुक्त थे। अभिलेख में रक्षित कागजात/तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–486 दिनांक–20.06.

WEB COPY NOT OFFICIAL

2013 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण फेनहारा प्रखंड से मोतिहारी प्रखंड में किया गया। अपीलार्थी मोतिहारी में दस दिन बाद दिनांक 02.07.2013 को योगदान करते है। आश्चर्य की बात है कि 02.07.2013 को ही पुनः प्रभार देने के नाम पर पत्र जारी हो जाता है एवं उसके अगले ही दिन दिनांक 03.07.2013 को फेनहारा में आ जाते है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक–1523 दिनांक 02.07.2013 द्वारा प्रभार सौंपने हेतु एक सप्ताह के लिए श्री यादव को फेनहारा प्रखंड में प्रतिनियुक्त किया गया था। जनसेवक स्तर के कर्मी को आम तौर पर एक दो दिन में संपूर्ण प्रभार सौंप कर अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा 03.09.2013 को प्रभार की बात कही जा रही है जो दिनांक 03.07.2023 से लगभग 02 माह 05 दिन होता है, केवल प्रभार के आदान–प्रदान में लगभग ढ़ाई माह बीत जाने के बाद भी श्री यादव द्वारा प्रभार सौंपकर अपने मूल पदस्थापन, मोतिहारी प्रखंड में योगदान नहीं करना उनकी फेनहारा प्रखंड में गलत मंशा को दर्शाता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि श्री यादव फेनहारा प्रखंड में पदस्थापन के दौरान अवैध राशि की उगाही में संलिप्त रहते थे एवं अपने स्वार्थसिद्धि हेतु स्थानांतरण के पश्चात् प्रभार देने के बहाने फेनहारा प्रखंड में प्रतिनियुक्ति करा लिये थे एवं जानबूझकर वहां पर ही रहें एवं निगरानी टीम ने फेनहारा से ही रंगे हाथो पकड़ा। अतएव उक्त के आधार पर वे अपने आप को निर्दोष साबित करने में असफल रहें हैं।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री यादव, जनसवेक से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री यादव से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

श्री यादव का उक्त कृत्य बेहद गंभीर प्रकृति का कदाचार है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1)(i), 3 (1)(ii) एवं 3(1)(iii) के प्रतिकूल है। यदि श्री यादव को कठोरतम दंड नहीं दिया जाता है तो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त कदाचार एवं भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं होगा। इस प्रकार जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा पारित आदेश सही एवं उचित है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अतएव जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–1483 दिनांक 29.11.2019 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्री यादव, बर्खास्त जनसेवक के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL